

उपरखण्ड अधिकारी सीकर

दिलेन्द्र जोला

बनाम जोगप्रकाश

12/12

T.S.

21/12

पत्रावली पेश / अधि उभयपक्ष हाजिर

अप्राथमिक 1 नं पत्रावली हेतु अवसर पाहा
कानिष्ठ अवसर रिमा पारा हेतु पत्रावली
प्राथमिक रिमा 1 प्राथमिक को पेश हो

14/12

पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी
आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 25/12 को पेश हो

उपरखण्ड अधिकारी
सीकर (राज.)

25/12

पत्रावली पेश / अधि उभयपक्ष हाजिर
अप्राथमिक 1 नं पत्रावली हेतु अवसर पाहा
कानिष्ठ अवसर रिमा पारा हेतु पत्रावली
प्राथमिक रिमा 1 प्राथमिक को पेश हो

उपरखण्ड अधिकारी

23/12

पत्रावली पेश हुई। आज अनिर्णयकाल ने कार्य
स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 31/12 को पेश हो

9/12

पत्रावली पेश / अधि उभयपक्ष हाजिर
अप्राथमिक 1 नं पत्रावली हेतु अवसर पाहा
कानिष्ठ अवसर रिमा पारा हेतु पत्रावली
प्राथमिक रिमा 1 प्राथमिक को पेश हो
कानिष्ठ अवसर रिमा पारा हेतु पत्रावली
प्राथमिक रिमा 1 प्राथमिक को पेश हो
कानिष्ठ अवसर रिमा पारा हेतु पत्रावली
प्राथमिक रिमा 1 प्राथमिक को पेश हो

धूम्रकान्त उद्घोषणा करके अग्नि प्रदीप के सह
 व अधिकारों का निर्धारण मूल कांड में लाहियों व लक्ष्यों
 के आधार पर किया जाना है। मूल कांड के निष्कर्ष
 तक विवाहिक क्रिया का विरुध को पर प्रदीप के लिए
 उभात्रि ही समझ है। अतः अग्रलिखितों के विवाहिक
 क्रिया के विरुध नहीं होने के सम्बन्ध में विशेषरूपे कांड
 धाकतु किया जाना - या योचित है। अतः अग्नि-प्र
 दीपों के स्वीकार किया जा रहा है तथा अग्रलिखितों
 में अग्नि अर्घ्यादि विधायिका से पाकतु किया जा रहा
 है अतः विवाहिक क्रिया का न. 51/1 (क) 0.09 हेम
 लक्ष्य 0.17 रज 0.98 हेम रजरा नगर 18
 रज 0.96 हेम वरि उगाध कुडाली तदानी व
 अग्नि, सीकर के अग्नि का अग्रलिखित लक्ष्य।
 के लिये तक के अग्नि का विरुध नहीं रहे तथा विरुध
 के गाना नहीं रहे। पतावली में अग्रलिखितों को नगर
 से कभरे, वास्ति दफ्त (है) निर्णय आज में दस्तावे
 से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
 सीकर (राज.)

22
 1
 2